

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Increasing incidents of so-called honour killings and honour related crimes in the country and the role of self-proclaimed panchayats therein

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Home Affairs to the increasing incidents of so-called honour killings and honour-related crimes in the country and the role of self-proclaimed panchayats therein.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy Chairman, Sir, honour crimes are acts of violence, usually murder, mostly committed by family members predominantly against female relatives, who are perceived to have brought dishonour upon the family. Honour killings are rooted in antiquated traditions and social values. Since "honour killing" is not a crime classified separately under the Indian laws, no data is collected separately regarding this crime by the National Crime Records Bureau, and the same is covered under 'murder'. Moreover, it is difficult to identify or classify an honour killing as such in any given community, since the reasons for such killings often remain a closely guarded private family matter. There is no separate law to deal with the crime of 'honour killing', and such crimes are dealt with under the provisions of the Indian Penal Code and are investigated and prosecuted as offences under the IPC/Cr, P.C.

'Police' and 'Public Order' are State subjects under the Constitution. The responsibility for dealing with enforcement of the laws pertaining to these two subjects, including prevention, registration, detection, investigation, prosecution and punishment of crimes against women, lies with State Governments. Some caste Panchayats are known to approve of these killings as reported in the media and thus are accomplices in the violation of the laws. However, caste Panchayats are informal bodies and have no legal status as such. Often, villagers give precedence to the judgement of a caste Panchayat rather than that delivered by the courts of law.

I recoil with shame when I read in the newspapers that two teenagers — a Dalit boy and a Muslim girl — were brutally killed in a village near Meerut, Uttar Pradesh in the name of honour. Or when I read that a young man, accompanied by a warrant officer was killed when he was on his way to fetch his wife from a village in Jind district, Haryana. Or when I read that a newly married couple in Delhi fear for their lives following a fatwa issued by a Panchayat in Jhajjar district, Haryana. Hon'ble Members will note with regret that these incidents happened last-week. The vilest crimes are committed in the name of defending the honour of the family or women and we should hang our heads in shame when such incidents take place in India in the 21st century.

The United Nations' "Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences, 2002" as well as the latest report, that is, "15 Years of the United Nations

Special Rapporteur on Violence Against Women (1994-2009) A Critical Review" do not mention India in the context of honour killings.

However, the Government of India is deeply concerned about violence against women and recognizes that real progress can only be made by addressing the causes that are rooted in anachronistic attitudes and false values. More efforts need to be made through educational and awareness campaigns in the communities and through sensitization of law enforcement agencies. Towards this objective, Government of India has initiated a number of legislative and ameliorative measures to check such crimes which include:

- (i) Enactment of Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 which provides for more effective protection of the Constitutional rights of women, who are victims of violence of any kind occurring within the family;
- (ii) Setting up of helplines for women in distress under the Swadhar Scheme of Ministry of Women and Child Development;
- (iii) Support services to victims of violence through schemes such as Short Stay Homes and Swadhar under which shelter, maintenance, counseling, capacity building, occupational training, medical aid and other services are provided;
- (iv) Redressal of grievances through interventions of National and State Commissions for Women; and
- (v) Economic empowerment of women through the programmes of Rashtriya Mahila Kosh, Swashakti project and Swayamsidha Project by Ministry of Women & Child Development.

Instructions / guidelines have also been issued to the State Governments / Union Territory Administrations to effectively enforce legislation relating to crimes against women and improve the administration of the criminal justice system and take such measures as are necessary for the prevention of crimes against women. The measures suggested include:

- i) sensitize police officials charged with the responsibility of protecting women;
- ii) vigorously enforce the existing legislations;
- iii) set up women police cells in police stations and exclusive women police stations;
- iv) provide institutional support to the victims of violence;
- v) provide counseling to victims of rape;
- vi) ensure wider recruitment of women police officers;
- vii) train police personnel in special laws dealing with atrocities against women;
- viii) appoint Dowry Prohibition Officers and notify Rules under the Dowry Prohibition Act, 1961;
- ix) sensitize the judiciary and police and civil administration on gender issues; and

- x) follow up reports of cases of atrocities against women received from various sources, including NCW, with authorities concerned in the Central and the State Governments.

Government deplores crimes committed allegedly to uphold the honour of the family or the victim or women in general and would welcome a wide discussion on how to prevent such crimes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Brinda Karat.

श्रीमती वृन्दा कारत : धन्यवाद, सर। मैं Chairman Sir को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे अहम मुद्दे पर बहस करने की इजाजत दी...(व्यवधान)...

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, as my colleague Mr. Venkaiah Naidu has mentioned, we have an NDA-delegation to the President. I would also like to leave but I just wanted to be here to fully support, what the Finance Minister has said and the spirit in which. ...*(Interruptions)*... yes, yes, the Home Minister. I am sorry. Some images die hard. So, I just take leave of the House. Thank you.

श्रीमती वृन्दा कारत : सर, मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद दे रही थी कि इतने संवेदनशील और अहम मामले पर उन्होंने calling attention की इजाजत दी। मेरे ख्याल से पहली बार इस सदन में honour killings के संबंध में ऐसे बहस हो रही है। मैंने मंत्री जी का बयान सुना है और पढ़ा भी है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने इसको deplore किया है और यह भावना प्रकट की है कि honour killings हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर एक कलंक है और सरकार इस पर बहस का welcome कर रही है। उसका स्वागत कर रही है और जो सुझाव दिए जाएंगे, उनका भी सरकार स्वागत करेगी। इस संबंध में मैं तीन बातें सदन के सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि यह प्रासंगिक मुद्दा इसलिए है कि पिछले हफ्ते हमारे पड़ोसी प्रदेशों में ऐसी 6 घटनाएं घटी हैं जिनमें self choice marriages के मामले में ऐसा हुआ। सर, मुम्बई की एक फिल्म है, "प्यार किया तो डरना क्या" - यहां पर तो "प्यार किया तो डरना जरूर है" और डरना और मरना दोनों अब बराबर हो गए हैं, दोनों एक हो गए हैं। Self choice marriages के अपने संवैधानिक अधिकार के अनुसार, अपने सामाजिक जीवन में युवा और युवतियां जो बालिग हैं, वे स्वयं फैसला करके रिश्ता रखते हैं या शादी करते हैं। उसकी जो प्रक्रिया होती है, इज्जत बचाने के नाम पर, परिवार के द्वारा या उस जाति के द्वारा, उस गोत्र या उस पंचायत के द्वारा, जो जाति आधारित पंचायत है उसको जबरदस्ती रोकती है, इस प्रकार की 6 घटनाएं पिछले एक हफ्ते में हुई हैं। मंत्री जी के बयान में उसका कुछ जिक्र है, मैं उसके details में नहीं जा रही हूँ। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे एक मानसिकता है कि औरत और बालिग लड़की जो घर की है, उसका स्त्रीत्व और उसका शरीर नियंत्रण में रहेगा और अगर उस लक्ष्मण रेखा को वह तोड़ती है, जिसको लोग तथाकथित पंचायत की इज्जत से जोड़कर परिभाषित करते हैं, अगर उसे वह तोड़ती है तो उसके लिए उसको सजा मिलेगी। दूसरी बात जो इसमें मौजूद है, वह हमारे देश की जाति प्रथा है। आज देश की जाति प्रथा की यह क्रूर तस्वीर हम लोग देख रहे हैं कि देश की राजधानी से पचास या साठ किलोमीटर दूर एक जगह पर अगर एक उच्च जाति की लड़की एक तथाकथित नीच जाति के लड़के - मैं तथाकथित कह रही हूँ - दलित लड़के के साथ रिश्ता रखती है, अगर वे दोनों तय करते हैं कि वे दोनों शादी करेंगे तो इसके लिए उन्हें इस प्रकार की सजा देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी सभ्य समाज में ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार औरत के ऊपर नियंत्रण रखना पुरुष प्रधान समाज की प्रतीक एक तरफ तथा जाति प्रथा की वह लक्ष्मण रेखा है दूसरी तरफ। तीसरी बात यह है कि स्वयं भू पंचायतों की अग्रसर भूमिका। सर,

हमारा जो चुनाव आधारित पंचायत सिस्टम है, उस पर हम जायज गर्व करते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा ऐसा पंचायत सिस्टम है जो जनवादी प्रणाली को मजबूत करता है। लेकिन यह जो समानान्तर सिस्टम है, जो स्वयं भू पंचायत है, जाति के नाम पर या किसी विशेष धर्म के ठेकेदारों के नाम पर जो तय करते हैं कि हम लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी लड़की किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ शादी करे। सर, जो वेदपाल का मामला है, उनकी जाति एक थी, उनका गोत्र एक था और उनका अपराध यह था कि वे दो पड़ोसी गांवों में रहते थे। गोत्र पंचायत ने तय किया दो पड़ोसी गांवों में जो रहने वाले हैं, वे भी शादी नहीं कर सकते हैं। और उसकी हत्या हुई। तो यह स्वयंभू पंचायतों की जो आज अग्रसर भूमिका है उसके पीछे यह भी हकीकत है, और, मुझे इस बात का खेद है कि आज भी हमारे पोलिटिकल सिस्टम में कास्ट को सामाजिक न्याय के लिए नहीं, बल्कि पोलिटिकल मोबिलाइजेशन के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस जातिगत पहचान को मजबूत कर रहे हैं। यह सामाजिक अन्याय का नतीजा है। कास्ट की तथाकथित पवित्रता को बचाने के लिए, वह लड़की जिसने हिम्मत की, हमारे देश की जनवादी प्रणाली और अधिकार के तहत उसने स्वयं चोइस की, कि हम किससे शादी करेंगे या किसके साथ हम रिश्ते करेंगे, उसको सार्वजनिक सजा दी जाती है। यह अगर उसकी पृष्ठभूमि है, तो कौन से कानून के आधार पर हम देखेंगे? सर, इसमें मैं खेद प्रकट करती हूँ कि इसके बावजूद कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं, हमारे देश की सरकार इसके लिए कोई अलग कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि आज "ऑनर किलिंग्स" की परिभाषा हमारे कानून में दर्ज नहीं है। क्यों दर्ज करना जरूरी है? जैसे सती प्रथा के संबंध में एक विशेष कानून बनाना जरूरी हो गया था, वैसे ही इसके लिए जरूरी है। चूंकि उसके पीछे जो ताकतें हैं वे उस अपराध को छिपाना चाहते हैं, वे सामूहिक हत्याएं करवाते हैं, छिपाते हैं और इसकी न कोई शिकायत करने वाले हैं और न सजा दिलाने वाले कोई हैं। जब शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं होगी, जब सभी उसमें सामूहिक रूप से, उसमें elitist या ताकतवर लोगों के दबाव के कारण भी शामिल हो जाते हैं, फिर जब शिकायत करने वाले नहीं हैं तो वहां सजा कभी नहीं होती।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I have to complete this. Please give me some time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to complete.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, only five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. This is not a debate.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I know that. I am just asking a question which is not there in the Minister's answer.

सर, हाल ही में पंजाब हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उन्होंने कहा है, "Times have changed, but the response of the State have not changed. Out of 50 matters, about 18 matters pertain to marriage. The scene is no different on other days when the court is functioning. It is a fact that for the last 4-5 years, this court has been flooded with petitions where young married couples come and seek protection. The State is a mute spectator. When will the State awake from its slumber? How long will

the State elude permanent solution? And how long courts can provide solace and balm by disposing such cases? These are the questions which are abegging answers." This is what the High Court has said. और चूंकि यह केवल एक प्रदेश का मामला नहीं है, देश भर में जहां कास्ट पंचायतों की हिम्मत बढ़ी है, मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि यह इललीगल है, लेकिन उनके फतवा लागू हो रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि कितने केसेज में यह इललीगल फतवा के खिलाफ किसी सरकार ने कदम उठाए? नहीं उठाए। सम्बंधित मुख्यमंत्री से हम खुद मिले। सर, मैं किसी पार्टी या मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना चाहती, मैं पार्टी पोलिटिक्स नहीं जोड़ना चाहती हूं, लेकिन सर, मुझे कितना दुख हुआ, कितना खेद हुआ, गृह मंत्री कह रहे हैं, "We should hang our heads in shame." और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि क्या करें, यह तो सामाजिक परंपरा है, उसको सामने रखकर हमें करना पड़ेगा। हत्या हो रही है, पब्लिक लिंकिंग हो रही है, पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो रहा है और यह सामाजिक परंपरा है इसलिए हम कदम नहीं उठाएंगे। सर, मैं यह चाहती हूं कि जो आपने सुझाव दिए हैं, वे सुझाव इस विशेष अपराध से कोई संबंध नहीं रखते हैं। इसलिए मैं आपसे मांग करती हूं, छः मुद्दे पर मैं चाहती हूं कि सरकार इनके बारे में सोचे। पहला यह, कि अलग कानून ऑनर किलिंग्स के बारे में बनाया जाए, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और राजस्थान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन Justice Godara ने 2001 में यह सुझाव दिया था। दूसरा यह कि जो स्पेशल मैरिज ऐक्ट है, यह उसके बजाए ऐसे सेल्फ चोइस कपल की मदद करे, लेकिन वह स्पेशल मैरिज ऐक्ट इतना कम्प्लीकेटेड है कि उसमें इतनी बाधाएं हैं कि जब तक उसकी मदद करेंगे, तब तक जो तथाकथित कास्ट पंचायतें आकर उनकी हत्याएं नहीं कर लेंगे, उनके इस स्पेशल मैरिज ऐक्ट में यह होगा नहीं। हमारे सर्वे में एक मिसाल है कि 35 स्पेशल मैरिज ऐक्ट....।

श्री उपसभापति: आप इसको डिफाइन करने लगेंगी, तो बहुत वक्त लग जाएगा।

श्रीमती वृंदा कारत : चिदम्बरम जी, 35 स्पेशल मैरिज ऐक्ट के केस एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, केवल दो स्पेशल मैरिज ऐक्ट हैं, क्योंकि इतना ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हुआ, वह उसको कर नहीं पाए, इसलिए उसको simplify कीजिए।

तीन, आपने कहा पुलिस की sensitisation लेकिन अगर आप एक मॉडल ऐक्ट बनाएंगे, जिसमें हिदायत दी जाएगी कि ये जो तथाकथित caste पंचायतें हैं, इन caste पंचायतों के खिलाफ सरकार कानून के तहत जो गैर संवैधानिक उनका फतवा है, उस पर रोक लगाएंगे। जो वे गैर-संवैधानिक फतवा जारी करते हैं, समाज की भलाई के बजाए वे समाज का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके लिए यह अनिवार्य है कि एक कानून बनाया जाए।

चौथी बात यह है कि आप प्रोटेक्शन दीजिए। आपने कहा है कि स्वाधार एवं शॉर्ट स्टे होम्स आप बना रहे हैं। मैं आज आपको बता रही हूं कि आज नारी निकेतन भरे हुए हैं। बालिंग युवतियों के, जिन्होंने self choice marriage की, वे और उनके husband जेल में हैं..।

श्री उपसभापति: आप brief में बोल दीजिए। अगर इसको एक्सप्लेन करेंगी, तो बहुत वक्त लग जाएगा। यह पांचवी बात है।

श्रीमती वृंदा कारत : सर, इसलिए मैं यह चाहती हूं कि आज जो protection homes हैं, कम से कम couples कहीं जाए, कहीं सहारा लेने के लिए, कुछ कदम अगर सरकार उठाए, तो यह बहुत अच्छा होगा। सर, इसलिए इन तमाम सवालों से, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से अपील करती हूं और हमारे साथी सरदार तरलोचन सिंह जी जानते हैं, आज हरियाणा में हमारी पार्टी एक छोटी पार्टी है..।

श्री उपसभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती वृंदा कारत : सर, विशेषकर जो जनवादी महिला समिति है, उनको threats मिल रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूँ कि हमारी जो प्रधान जगमती सांगवान है, वह इस केस को देख रही हैं, उनको threats मिल रहे हैं कि कैसे तुम यह केस देख रही हो। सर, मैं चाहती हूँ कि इसकी प्रोटेक्शन हो और सरकार इस संबंध में एक अलग कानून जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Najma Heptaula. I request all the Members to only seek clarifications. It is not a debate. I need not remind all of you that it is not a debate, and it should not be converted into a debate.

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान) : सर, वृंदा जी ने यह बहुत ही अहम मसला उठाया है। मुझे इस बात की खुशी है कि चेयर ने इस मसले को importance दी और आज इस पर बोलने के लिए हम लोगों को इजाजत दी। मैं एक बात यहां पर और रखना चाहती हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, मैंने इस तब्दीली को चेयर से भी देखा है, हाउस में भी देखा है। अगर महिला पर अत्याचार का मामला होता है, तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सारी महिलाएं उस पर अपनी राय देती हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने इन 30 वर्षों में देखा है कि अगर महिला के मसले होते थे, तो हर पार्टी महिला को बुलवाती थी, मगर आज पुरुष भी समाज की जो खराब प्रथाएं हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, यह अच्छी बात है। यह मामला सेंसिटिव है और इस पर मैं हाउस में बैठे हुए अपने भाइयों से कहूंगी कि अपने गिरेबान में झांककर देखें, अपने घर में देखें कि अगर ऐसा ही वाकिया उनके किसी रिश्तेदार के साथ होता, उनकी बच्ची के साथ होता, तो क्या होता! जैसा कि वृंदा कारत जी ने कहा कि मजबूरी में मां-बाप को भी पंचायतों की बात माननी पड़ती है, उन्हें भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमारे मुल्क में कानून है कि कोई बालिग हो जाए, तो उसको वोट देने का अख्तियार है। अगर कोई बालिग लड़की या लड़का अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं और उसको honour killing कहा जाए, यह किसी भी मजहब से ऊपर है। मैं एक बार पाकिस्तान में थी, एक women's इंटरनेशनल कांफ्रेंस की थी, उस समय वहां के प्रेजिडेंट मुशरफ साहब थे, उन्होंने honour killing को, जो पाकिस्तान में भी होती है, across the border भी होती है, उसको उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम किया था। मैं एक मुसलमान हूँ, एक हिन्दुस्तानी हूँ। इस्लाम में तब तक शादी नहीं मानी जाती, जब तक लड़की और लड़का खुद इस बात की रजामंदी न दे, अगर वे बालिग हैं। शादी होना उसका एक बुनियादी हक है, अफसोस की बात है, हालांकि हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। मुझे यकीन है कि उन्होंने जो कुछ स्टेटमेंट के जरिए हाउस में बोला है, उसमें खुद उनकी अपनी फीलिंग भी शामिल है। उन्होंने हाउस में सिर्फ एक दस्तावेज के तौर पर अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है, मगर मंत्री जी, आपने युनाइटेड नेशन्स का जिक्र किया है कि युनाइटेड नेशन्स की रिपोर्ट में "Honour Killing" के बारे में है। यदि आप इंटरनेट पर जाएंगे, तो आपको ऐसी ढेरों साइट्स "Honour Killing in India" के बारे में मिलेंगी। मेरे पास कुछ मटेरियल है, जिसमें खासतौर पर हिन्दुस्तान का जिक्र किया है। इसके अलावा ब्लॉग भी है, "Honour Killings in India" उसकी साफ वजह यह है कि इस मामले को दबा दिया जाता है। उसमें पुलिस भी हिम्मत से काम नहीं लेती है, क्योंकि वे लोग भी किसी न किसी कास्ट से जुड़े हुए होते हैं। जब तक हम अपनी कास्ट, अपनी सोच से ऊपर नहीं उठेंगे, मुझे नहीं

लगता कि सिर्फ कानून बनाकर हम इसको रोक सकते हैं।...(समय की घंटी)... सर, भूमिका तो बनाने दीजिए और फिर यह महिला का मामला है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: महिला का मामला है, इसीलिए तो कह रहे हैं।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : कल इस हाउस में बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ और यहां पर हमारी इंफॉर्मेशन ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर बैठी हुई है, इन्होंने जवाब भी अच्छा दिया।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप जानती हैं कि हमें इसको एक घंटे में खत्म करना है। मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप सब जानती हैं।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : सर, ठीक है, मैं जानती हूं और मैं आपकी दुविधा से भी वाकिफ़ हूं।

श्री उपसभापति: आप मेरी मदद कीजिए।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : सर, आज आपकी मदद की जरूरत है। आपके घर में भी कोई बच्ची होगी, मगर यहां सवाल यह है कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा और हमें एक awareness generate करनी है। यहां पर हमारी इंफॉर्मेशन ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर बैठी हुई हैं और कल यहां पर टेलीविजन के बारे में बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ। अगर हम अपने strong media के जरिए उन लोगों को सही तरीके का मैसेज देंगे और उन बच्चों को भी यह बताएंगे कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है या इस तरह के फतवे दिए जा रहे हैं, तो उन्हें कहां जाकर मदद मिल सकती है। सरकार कोई इंटर intergovernmental committee बनाकर इंफॉर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग से उसके बारे में बात करें। आप बार-बार मेरी तरफ देख रहे हैं।

श्री उपसभापति: हां, मैं देख रहा हूं, क्या करूं?

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : मैं कोई गलती नहीं कर रही हूं। यहां पर इतनी महिलाएं बैठी हैं, सब इस पर बोलना चाहेंगी।

श्री उपसभापति: महिलाएं हैं, तभी तो पहले मौका दे रहे हैं।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : पुरुष भी बोलना चाहेंगे, मगर सवाल यह है कि आज जरूर मौका दीजिए। आज यदि खाना नहीं खाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री उपसभापति: ऐसा नहीं होगा।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : यह बच्चों की जिंदगी का सवाल है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बजे ही खत्म करें, आप डेढ़ और दो बजे भी खत्म कर सकते हैं।

श्री उपसभापति: ऐसा नहीं होगा।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : सर, सवाल यह है कि क्या हमारे मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए, जो औरतों के खिलाफ हमारे कानून हैं, को कार्यवाहियां होती हैं, हिंसा होती है, उसके लिए किस तरीके से पब्लिक में awareness लाएंगे? मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि टीवी पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, जिनसे इसको प्रोत्साहन मिल रहा है। इन दो-तीन सवालों के साथ मैं अपने को इस मामले में वृंदा जी और इस हाउस के साथ जोड़ती हूं। शुक्रिया।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : सर, जो बात वृंदा जी ने कही है, हम शब्दशः उसका समर्थन करते हैं। हमें तो मौका नहीं मिल रहा है, बोलने का।...(व्यवधान)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Why don't you speak, Smt. Maya Singh? ... (Interruptions)...

श्री उपसभापति : सब समर्थन कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती वृन्दा कारत : सर, बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति : ऐसे नहीं, प्लीज। वृन्दा जी, आप चेयर को ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती वृन्दा कारत : सर, बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... Sir, we never get an opportunity to speak on such an important matter?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, no. Why are you asking, Brindaji? ...**(Interruptions)**... There is a procedure. ...**(Interruptions)**... There is a procedure ...**(Interruptions)**...

श्रीमती वृन्दा कारत : सर, बोलने दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Because you are intervening, I cannot allow others. I cannot change the rules.

SHRIMATI BRINDA KARAT: I am sure, the Government has all the... power ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not the Minister. It is the rules. I have to follow the rules. ...**(Interruptions)**... समर्थन कीजिए। ...**(व्यवधान)**... यह नहीं हो सकेगा ...**(व्यवधान)**... आप कॉलिंग अटेंशन कहते हैं, एक घंटे में रूल ...**(व्यवधान)**... We have to finish it in one hour. You should have asked for a Short Duration discussion. यह सही नहीं है।

प्रो. अलका क्षत्रिय (गुजरात) : उपसभापति महोदय, धन्यवाद। आपने एक बहुत ही गंभीर सामाजिक समस्या, महिलाओं के प्रति होने वाले गंभीर सामाजिक अत्याचार पर इस सदन में चर्चा के लिए बोलने का अवसर दिया, इसके मैं आपकी आभारी हूँ। ऑनर किलिंग हो या महिलाओं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माफ करना, यह चर्चा नहीं है, यह खाली क्लैरिफिकेशन है। यह रूल में चर्चा नहीं है। ...**(व्यवधान)**... चर्चा होनी चाहिए, वह अलग बात है।

प्रो. अलका क्षत्रिय : महिलाओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने का अवसर दिया है। आप इस पर चर्चा अलाऊ नहीं करते तो कम से कम ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप क्लैरिफिकेशन पूछिए।

प्रो अलका क्षत्रिय : जैसा कि वृन्दा जी ने बताया है, यह जो ऑनर किलिंग की बात चल रही है, उनकी बात को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ कि हमारे सामाजिक रीति-रिवाज - मैं उसे कुरीति कहूँगी कि हमारी सामाजिक कुरीति इसके लिए जिम्मेदार हैं, हमारी जाति-प्रथा इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे समाज की जो पंचायतें हैं, उनके जो गलत निर्णय हैं, उसकी वजह से इस कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से हम इस विषय को उठा रहे हैं। महोदय, मैं यह कहना चाहूँगी कि सिर्फ ऑनर किलिंग ही महिलाओं के प्रति गंभीर बात होती है, ऐसा नहीं है। मैं इसके साथ पटना की घटना जोड़ना चाहती हूँ कि वहाँ एक महिला को सरेआम, सरे बाजार नंगा कर दिया जाता है, उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्या आज के समय में भी द्रौपदी की बात चल रही है? मैं अपने गुजरात राज्य की बात भी इसके साथ जोड़ना चाहूँगी कि वहाँ एक महिला को, एक बच्ची को कुछ गुण्डे लोग उठाकर ले जाते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसका एम.एम.एस और एस.एम.एस. बनाकर लोगों तक

पहुंचाते हैं। मैं इस घटना को इसलिए जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो भी गुनाह किए जाते हैं, उनको बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि हमारे मंत्री जी इसके प्रति बहुत गंभीर हैं, उन्होंने जो बात कही है, उससे ऐसा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून तो कई बने हैं, लेकिन इतने सारे कानून बनने के बाद भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं, यह भी एक हकीकत है। मुझे लगता है कि जो पंचायतें ऐसे निर्णय लेती हैं, ऐसी पंचायतों के खिलाफ अलग से कानून बनाया जाना चाहिए। उनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने चाहिए और उन पंचायतों के खिलाफ जल्द से जल्द निर्णय लेकर कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे भविष्य में इन पंचायतों में इस तरह के निर्णय लेने का डर व्याप्त हो। यह बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि गरीबों को तो सजा मिल जाती है, लेकिन इस देश में अमीरों के लिए कोई कानून ही नहीं है। अमीरों को कोई सजा नहीं मिलती है। अगर अमीर के लड़के किसी लड़की को उठाकर ले जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन गरीब ऐसे मामले करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी फैमिली की औरतों के साथ भी कुकर्म किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि इस संबंध में बहुत ही जल्द सख्त कानून बनाए जाने चाहिए।

दूसरी बात यह है कि ऐसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर जल्द से जल्द उनका निर्णय हो, यह ज्यादा जरूरी है। कानून तो बहुत हैं, लेकिन लोगों को कानून का इम्प्लिमेंटेशन भी दिखना चाहिए, तभी तो पंचायतों को यह डर लगेगा कि हम ऐसे गलत निर्णय न लें। ऐसे गलत फैसले लेने पर हमारे विरुद्ध भी कोई कार्रवाई हो सकती है। मैं मंत्री जी से यह बात कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे कानून बनाइए, पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप लोगों को, खासकर महिलाओं को न्याय देंगे, मैं आपसे ऐसी आशा रखती हूँ। हम इसे पार्टी पोलिटिक्स, जातिगत राजनीति, वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर सोचें, तभी यह कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, श्रीमती वृंदा कारत जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस पर माननीय गृह मंत्री जी का बहुत लंबा स्टेटमेंट भी है। हम बरसों से देख रहे हैं कि ये घटनाएं सबसे ज्यादा दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही होती हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड चले जाइए, दिल्ली का जो पूरा सर्कल है, इन आसपास के इलाकों में ये घटनाएं होती हैं। सीधे-सीधे यह हत्या का मामला होता है, अगर इस पंचायत में हत्या का फरमान दिया जाता है। इसको पता नहीं कैसे honour killing कहा गया, it is the most brutal killing. मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह बहुत वर्षों से चला आ रहा है, इसके बाद भी आज तक इस अपराध को रोकने के लिए कानून क्यों नहीं बना। मैं मांग करता हूँ और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जवाब दें कि क्या वे शीघ्र ही इस तरह का कानून लाएंगे, क्योंकि जब पंचायत फैसला करती है, तो तमाम लोग गवाही नहीं देते हैं? इस तरह के कानूनों की पहले भी व्यवस्था है, जिसमें केवल FIR हो जाती है, उसके बाद गवाह की आवश्यकता नहीं होती है, जो मुलजिम होते हैं, उनको यह साबित करना पड़ता है कि they are innocent. जब तक इस रूप में कानून को संशोधन करके नहीं लाया जाएगा और जो भी पंचायत में शामिल होंगे, अगर हत्या होती है, तो जब तक वे सब 120 (बी) के अन्तर्गत 302 के मुलजिम नहीं बनाए जाएंगे, जब तक यह provision नहीं किया जाएगा, तब तक यह रोका नहीं जा सकता है, तब तक यह भय पैदा नहीं हो सकता है। मैडम नजमा जी चली गईं, केवल awareness से काम नहीं चलेगा। सोसायटी में बिल्कुल primitive stage पर जो बातें हुआ करती थीं, वे अब भी हो रही हैं। इनके लिए बहुत ही strong hand की जरूरत है। I expect that the hon. Home Minister will bring such a law, ताकि इन सबको curb किया जा सके। धन्यवाद।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, at the outset, I share the sense of shame and agony expressed by the Home Minister. The incidents which he has listed are the

known, reported incidents. There must be unknown, non-reported incidents in the country. There are extra-Constitutional bodies of Caste Panchayats of elders existing in all the castes, tribes in India. But with the advent of education and migration, the hold of Caste Panchayats has become weak. But there are powerful Caste Panchayats in some parts of the country. This presents a big dilemma before the country. We have extra-Constitutional bodies which are beyond the law of the land, ably supported by political classes. We have parallel caste system that defies the Constitutional system of law. Discrimination and social exclusion on the basis of caste, religion, language, disability, gender and sexual orientation is unabated. On the top of it, we have a new battery of hate speech specialists who are shameless. The pace of economic growth of India, rather than breaking these barriers, is trying to engrain these discriminatory practices into the economic system. But societies and the law should use such instances to redeem themselves from such obnoxious practices. For example, honour punishment. My hon. colleague says it is dishonour for the entire nation. It is honour punishment which will certainly bring shame to India in the world community.

Having said that, I would like to make only one comment on the statement made by the Home Minister. He has said at page 3, point 7, "Our police sensitise police officials charged with the responsibility of protecting women". Here the problem arises. The police and the investigative agencies are not that sensitive when it comes to deal with women and their problems.

Recently, in a case relating to Sister Abhaya in Kerala, the charge sheet, filed by the CBI, as reported in the media, is outrageous and atrocious. As for the language used in the charge sheet, I do not know whether it was a language used by the doctors, or, it was a language used by the CBI. How can you expect women to tolerate such a language? It is an affront on the dignity and decency of women. And, how can we expect women to come forward willingly to explain their problems to the police or the investigative agencies? And, I think, there lies the problem. Women look at police and the investigative agency not as a friend, but as an inimical force which will throttle their voice and strangle their rights. How is the Ministry or the Government going to change the attitude of the police, the attitude of the investigative agencies, when it comes to dealing with women's issues? Having said this, this is an issue on which my colleague, Shrimati Brinda Karat, has called the attention not only of the Government but also of the entire House, and many of my colleagues have joined her on this issue. I also join her on the issues which she has raised, and I would like to know how the Government is going to respond to these issues. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Through a special law...

SHRI D. RAJA: The hon. Minister has spoken about creating awareness and taking it up at the ideological or at the educational level. It is not enough. There should be a law, a very strong law. ...*(Interruptions)*... I have said that these Caste Panchayats are extra-constitutional parties. We cannot contain these Caste Panchayats unless there is a strong law to deal with them.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. K. Malaisarny, please be brief.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Sir, as a person, totally accepted and devoted to a lady leadership in Tamil Nadu, I may be one of the persons best suited to speak about women and women's problems. The hon. Minister, in his statement, has been fair enough to concede what the ground reality is. I am very happy that he has accepted many of the situations. I do not like to go into the details at all. I have seen, as Finance Minister, he would start his speech with a Thirukkural and end with a Thirukkural.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, that is not the point. You put specific supplementaries.

DR. K. MALAISAMY: I am not going to make a speech. I will try to confine myself within the time. I will say it with a couplet —

"Noi naadi, noi mudhal naadi, noi thanikkum vaainaadi, vaippukazhal."

It means that when you want to identify a problem, you must go into the root-cause of it. Only then can a problem be solved. Now, the hon. Minister is able to identify what the problems and the ground realities are. In such a situation, finding a solution is not a problem. As a student of management, I have been taught that any problem will have more than one solution...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, you give the solution.

DR. K. MALAISAMY: What I am trying to tell the hon. Minister is that macro level situations should be understood. Then, he has to come to micro level situations. Our country, as it is, is facing all sorts of crimes. In other words, there are 5 Ms, say, muscle power, money power, mafia power, media power and ministerial power, which are ruling the country. This is the situation in which we are placed...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Malaisamy, I would like to remind you that you should just seek clarifications from the Minister's statement. It is not a debate. Please seek clarifications and give your suggestions.

DR. K. MALAISAMY: What is the hon. Minister going to do in the prevailing situation? Would he take a hint from what has been done in Tamil Nadu? In Tamil Nadu, there are women police stations exclusively for protecting the interests of women. This was done during the time of the former Chief Minister, Madam Jayalalitha. That is the right point — whether he likes it or not — he can take into account while analysing it. Sir, finally, I want to say some important points, but the way you look at it, I am not able to do it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What can I do?

DR. K. MALAISAMY: Okay. You don't try to tell that this is the problem of the State. On the other hand, you take it up at the macro level and think over whether a positive legislation for the entire country can be thought of to protect the interest of the women. Lastly, Sir, a right person for the right task can be thought of * I leave it to the hon. Minister to get things done. Thank you, Sir.

¹Spoke in Tamil.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Malaisamy. Now, Sardar Tarlochan Singh.

सरदार तरलोचन सिंह (हरियाणा) : थैंक यू, डिप्टी चेयरमैन साहब। पहले तो मैं बहन वृंदा का और उनकी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हरियाणा में यह issue उठाया। लेकिन, हम इतने भाई-बहन यहां बैठे हैं, फिर भी हम red issue तो ले ही नहीं रहे हैं। आपने शुरू कर दिया कि लेडीज के लिए भी और कानून बनाओ, लेकिन हुआ क्या, पहले यह तो सुनो।

सर, बात यह हुई कि 12 जुलाई को हरियाणा में एक गांव है, वहां गांव के लोगों ने एक पंचायत बनाई। उसे खाप पंचायत कहते हैं। वहां रविन्द्र नामक एक लड़का और शिल्पा नाम की एक लड़की की शादी हो गई। वे कहते हैं कि ये एक ही गोत्र के हैं, इसलिए यह शादी नहीं हो सकती। 7 दिन उन्होंने कचहरी लगाई और सरकार चुप कर के बैठी रही, भीड़िया सब छिपाता रहा। Ultimately उन्होंने वह आर्डर दिया, जैसे तालिबान स्वात में देता है, कि यह शादी नहीं हो सकती। उन्होंने उन दोनों फैमिलीज को गांव से निकाल भी दिया। वे गांव से निकल गए और आज तक वे गांव के बाहर बैठे हैं। फिर क्या हुआ? चार दिनों बाद यह हुआ कि हमारे Kaithal जिले में वेदपाल की एक लड़की के साथ शादी हुई। वे कहते हैं कि उनका भी एक ही गोत्र है। वेदपाल हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने अलाऊ किया कि शादी वैलिड है। पुलिस उसके साथ गांव गई, ताकि वह अपनी बीवी को ले आए। जब वह गांव में पहुंचा, तो गांव के सारे लोगों द्वारा इकट्ठे होकर उसका कत्ल कर दिया जाता है। हम issue बना रहे हैं women का? ठीक है, लेकिन issue है क्या? issue यह है कि जिस लड़के ने शादी की उसका day time में मर्डर हुआ। पुलिस वहां मौजूद है और वह देख रही है। मेरे भाइयो, मैं politics नहीं कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट की responsibility क्या है? जब यह सब पाकिस्तान में होता है, तो हम कहते हैं - वाह, वाह! तालिबान क्या कर रहे हैं! सारा हिन्दुस्तान, हम तालियां बजाते हैं। जब इंडिया में यह होता है, तो यह उससे कम नहीं है। This is same as the shariat law; same as the Taliban. Unless they permit, you cannot marry. होम मिनिस्टर साहब, मेरी राय यह है कि कानून है। मर्डर का क्या कानून है? मर्डर के पांच दिनों बाद वहां पुलिस आई। वह भी तब आई, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने और ट्रिब्यून ने उस पर editorials लिखे। ट्रिब्यून ने लिखा - Haryana Government is not acting. Who rules Haryana? टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है - (*) Losing Swat Valley Fight. यह उस अखबार की हेडिंग है और हम कह रहे हैं कि नया कानून बनाओ। कानून किसके लिए, बदमाशों के लिए हरियाणा की जो सरकार है - माफ करें, I am playing no politics here. I am an independent M.P., लेकिन यह हरियाणा सरकार की failure है, इसलिए कि उसका वोट बैंक है। हमारी एक caste dominating है, उसमें कुछ लोग यह करते हैं। आज भी किया, चार साल पहले भी ऐसा हुआ था। लेकिन हम डरते हैं कि वोट बैंक से ...**(समय की घंटी)**... मैं किसी का नाम ले के नहीं कहता, लेकिन बहन जी, आप reality को फेस करिए। हरियाणा में इस पर action क्यों नहीं हुआ? आज तक murderer कहां बैठे हैं और गांव के जो लोग ...**(व्यवधान)**... गांव के जो लोग ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, how is it clarification? ...*(Interruptions)*...

सरदार तरलोचन सिंह : यह और क्या है? हम बहस और किस बात पर करें? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं। आप बोलिए।

*Not recorded.

सरदार तरलोचन सिंह : मध्य प्रदेश में एक लेडी का pregnancy test हुआ। इस पर सारा हाउस खड़ा हो गया कि चीफ मिनिस्टर ने ऐसा क्यों किया और यहां क्योंकि चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी का है, आप हमें बोलने नहीं देते। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : तरलोचन जी, आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

सरदार तरलोचन सिंह : यह कोई issue नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आप please don't interrupt. आप सच्चाई को सुनिए। ...**(व्यवधान)**... मैं कोई पोलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं * की कद्र करता हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं कोई पोलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, ...**(व्यवधान)**... लेकिन हमें reality face करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप चीफ मिनिस्टर का नाम निकाल दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

सरदार तरलोचन सिंह : स्टेट गवर्नमेंट की responsibility है कि जब ऐसी कोई बात हो और इस बात में सरकार अगर एक्शन नहीं लेती तो फिर कौन लेगा? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : ठीक है, ठीक है। ...**(व्यवधान)**... श्री राजनीति प्रसाद।

सरदार तरलोचन सिंह : कोई नया कानून हमें नहीं चाहिए। ...**(व्यवधान)**... जो कानून है, उसे लागू करो और जो victims बाहर बैठे हैं, उनके लिए सरकार की ज़ुबूटी है कि उनको गांव में भेजे, उनको वहां बसाए तथा जिन्होंने वह मर्डर किया है, उनको murder case में under 302 अरेस्ट किया जाए।

श्री उपसभापति : श्री राजनीति प्रसाद। ...**(व्यवधान)**...

डा. राम प्रकाश (हरियाणा) : सर, इसमें से चीफ मिनिस्टर का नाम निकाल दिया जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : वह निकाल दिया गया है।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : सर, मेरे पास अखबारों की दो cuttings हैं, लेकिन मैं उन का reference नहीं करूंगा। महोदय, एक में बताया है कि जुगल-जोड़ी को, प्रेमी-प्रेमिका को पंचायत के सामने लाया जाता है, उनके बाल मूड़े जाते हैं और उस के बाद लड़के को मार दिया जाता है। सर, एक ओर cutting है, जो कि बहुत भयानक है, "पंचायत ने जारी किया मौत का फरमान, प्रेमियों को मारने वाले को एक लाख रुपए का इनाम।"

सर, मैं अब आप को निवेदन करना चाहूंगा कि यह कैसे होता है। सर, हमारे यहां एक स्पेशल एक्ट है, सती एक्ट। सर, पहले जो महिलाएं विधवा हो जाती थीं, उन को पति के साथ जला दिया जाता था। इस कुप्रथा को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने जन-आंदोलन चलाया। राजस्थान में जब ये घटनाएं घट रही थीं तो उसे रोकने के लिए एक स्पेशल एक्ट, "सती एक्ट" बनाया गया। सर, उस वक्त भी धारा 302 थी। अब हमारे गृह मंत्री जी तो बहुत बड़े वकील हैं, उन को यह सब मालूम है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि, There are no separate laws to deal with the crime of 'honour killing' and such crimes are deal with under the provisions of the Indian Penal Code and are investigated and prosecuted as offence under the IPC/CrPC. तो उस वक्त भी आई.पी.सी. की धारा थी, लेकिन सती एक्ट बनाया गया। सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मामला 302 से नहीं रुकेगा। श्रीमती वृंदा कारत जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। मैं भी वकील हूँ। सर, यह जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, इस में भी जुगल-जोड़ियों को 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है और घर वालों को भी नोटिस जाता है। उस में जब घर वालों को नोटिस जाता है, तो वे देख लेते हैं कि कौन-कौन आदमी कहां-कहां शादी कर रहा है और अगर वे स्वगोत्र हुए या उन लोगों के खिलाफ हुआ तो वे उन को दूँढकर, उनके खिलाफ एक लाख रुपए का इनाम देने वाला नारा लगाते हैं।

*Not recorded.

सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कोई नया सुधार किया जाना चाहिए। यह कैसे होता है कि दो जवान - लड़का, लड़की जा रहे हैं और आप उन को मारने वाले के गार्जियन को दे रहे हैं? तो ये घटनाएं घटेंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ सुधार होना चाहिए। सर, इस में 30 दिन का नोटिस गलत हो जाएगा क्योंकि आज समूचे समाज में इस तरह के काम से बहुत संवेदना फैल गयी है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूँ और यही मेरा clarification है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक नया एक्ट जरूर बनाना चाहिए।

DR. (SHRIMATI) KAPILA VATSYAYAN (Nominated): Thank you, Mr. Deputy Chairman. Sir, I just wanted to say that I have heard with agony and anguish what Brindaji has said. I have also heard with great attention the statement of the Home Minister. In this country, which is culturally rhetoric talks of women empowerment and in reality is different this is our situation. This is not a matter of political parties, nor a matter of State Governments vs. the Central Government, it is a matter of what crisis this country is going through in terms of the erosion of its fundamental values. Sir, one set of Questions is certainly related to law and order, and a special Act will help. But there are other mechanisms, which have to be adopted by each one of us in our own situation. And also unless this is part and parcel of the educational system in terms of the inculcation of values, we cannot do anything. Since the distinguished Minister of I&B is here, I would like to say that we are having advertisements of all kinds. These matters brought up only a sensation, mostly a sensation. Certainly, with some concern in the media to a counter media awareness is required in many languages and the fact that our understanding of what caste is or what *Gotra* is, is very faulty. There are no legal documents whether in Manu or anywhere else, which speak of or give sanction either socially or morally to acts of this kind. Thank you.

श्री अहमद सईद मलीहाबादी (पश्चिम बंगाल) : सर, हमारे वजीर-ए-दखला साहब ने जिस मामले पर बयान दिया है, वह हमारे समाज का एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, इसलिए कि गैरत के सवाल पर जो कत्ल हो रहे हैं, उनमें जो लोग कत्ल कर रहे हैं, वे जितने जिम्मेदार हैं, उतने ही जिम्मेदार उन लोगों को भी माना जाना चाहिए, जो पंचायतें लगा कर इस तरह के कत्ल को वाजिब ठहराते हैं। मैं यह समझता हूँ कि हमारे कानून का जो दायरा है, चाहे आप नया कानून बनायें या मौजूदा कानून में जो धारा 302 है, उसको लागू करें, इस कानून के अनुसार, कत्ल करना, कत्ल के लिए उकसाना, कत्ल के लिए मदद देना, एक तरह का जुर्म माना जाता है। पंचायतों को तो कुछ नहीं होता है। अभी हमारे वजीर-ए-दखला साहब ने अपने बयान में यह भी फरमाया है कि झज्जर में कोई पंचायत है, जिसने फतवा जारी किया है। पंचायतें तो फतवा जारी नहीं करती हैं, फतवा जारी करने वाले तो दूसरे लोग होते हैं। आप उसको "फरमान" कह सकते हैं। एक तो यूँ ही बदनामी बहुत चल रही है कि साहब, मुसलमानों की तरफ से फतवे जारी होते हैं। कोई मुसलमान इस तरह का फतवा जारी नहीं कर सकता है। अभी हमारी मोहतरमा नजमा हेपतुल्ला साहिबा ने पाकिस्तान के मामले में फरमाया, वहाँ यह सब चल रहा है। वहाँ कत्ल वगैरह सब हो रहे हैं। वहाँ वे फतवे जारी करें, चाहे तालिबान करे या कोई भी करे, लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह की बात नहीं होती है। मैं वजीर-ए-दाखिला साहब से यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि वह इस पर जरूर गौर फरमायें, क्योंकि यह मामला इतना सीरियस हो गया है कि इस तरह के वाकयात से लोगों के दिल हिल जाते हैं। दुश्मनियाँ ऐसी पड़ती हैं जो पुश्त दर पुश्त चला करती हैं। लिहाजा यह बहुत जरूरी है कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए हमारे कानून की जो मशीनरी है, उसको पूरी तरह से गैरजानिबदारी के साथ इस पर अमल करना चाहिए, इसलिए कि पुलिस की मौजूदगी में कत्ल हो जाते हैं, पंचायत के लोग वहाँ जुल्मो-सितम करते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसमें जो लोकल पॉलिटिक्स है, वह मसला अपनी जगह पर है, लेकिन उसको कानून के रास्ते में नहीं

آنا چاہیے۔ ہمارے وکیل-ای-داخلا ساہب کو اس پر پوری طرح توجہ دینی چاہیے اور اس چیز کو ہمارے ملک میں روکنا چاہیے، ورنہ جیسا انہوں نے ابھی کہا کہ ہمارے ملک میں پانچائیتوں کے لیے یہ ایک طرح کا تالیفانہ ایجنڈا ہو رہا ہے، یہی سب کچھ تو وہاں بھی ہو رہا تھا۔ اس کی ہمت افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری جو وکیل-ای-دخلا اور نیشنل شریعتی اکیڈمی کی سینیٹر ہیں، ان کے لیے ابھی ایک سیشن یہ بھی آیا کہ ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں، ان کو آپ اس بارے میں جرات سے ہدایت کریں کہ وہ اس طرح کے پروگرام بھی نشر کریں تاکہ اس طرح کی چیزوں کو روکا جائے۔ یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت-بہت شکریا۔

جناب احمد سعید ملیح آبادی (پیشچی بنگال) : سر، ہمارے وزیر داخلہ صاحب

نے جس معاملے پر بیان دیا ہے، وہ ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس لیے کہ غیرت کے سوال پر جو قتل ہو رہے ہیں، ان میں جو لوگ قتل کر رہے ہیں، جتنے ذمہ دار ہیں، اتنے ہی ذمہ دار ان لوگوں کو بھی مانا جانا چاہیے جو پانچائیت لگا کر اس طرح کے قتل کو واجب ٹھہراتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانون کا جو دائرہ ہے، چاہے آپ نیا قانون بنائیں یا موجودہ قانون میں جو دھارا 302 ہے، اس کو لاگو کریں اس قانون کے مطابق قتل کرنا، قتل کے لیے اکسانا، قتل کے لیے مدد دینا، ایک طرح کا جرم مانا جاتا ہے۔ پانچائیتوں کو تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جہیز میں کوئی پانچائیت ہے، جس نے فتویٰ جاری کیا ہے۔ پانچائیت تو فتویٰ جاری نہیں کرتی ہیں، فتویٰ جاری کرنے والے تو دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اس کو "فرمان" کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یوں ہی بدنامی بہت چل رہی ہے کہ صاحب، مسلمانوں کی طرف سے فتویٰ جاری ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان اس طرح کا فتویٰ جاری نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی ہماری محترمہ نجمہ بیٹ اللہ صاحبہ نے پاکستان کے معاملے میں فرمایا، وہاں یہ سب چل رہا ہے۔ وہاں قتل وغیرہ سب ہو رہے ہیں۔ وہاں وہ فتویٰ جاری کریں، چاہے طالبان کرے یا کوئی بھی کرے، لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں وزیر داخلہ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پر ضرور غور فرمائیں، کیوں کہ یہ معاملہ اتنا سیریس ہو گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں۔ دشمنیاں ایسی پڑتی ہیں جو پشت در پشت چلا کرتی ہیں۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہمارے قانون کی

1 P.M.

جو مشینری ہے، اس کو پوری طرح غیر جانبداری کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہئے، اس لئے کہ پولس کی موجودگی میں قتل ہو جاتے ہیں، پنچایت کے لوگ وہاں ظلم و ستم کرتے ہیں اور اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں جو لوکل پالیٹکس ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو قانون کے راستے میں نہیں آنا چاہئے۔ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو اس پر پوری توجہ دینی چاہئے اور اس چیز کو ہمارے ملک میں روکنا چاہئے، ورنہ جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں پنچایتوں کے ذریعے یہ ایک طرح کا طالبانائزیشن ہو رہا ہے۔ یہی سب کچھ تو وہاں بھی ہو رہا تھا۔ اس کی ہمت افزائی نہیں ہونی چاہئے۔ ہماری جو وزیر اطلاعات و نشریات شریمتی امبیکا سونی جی ہیں، ان کے لئے ابھی ایک سنجیشن یہ بھی آیا کہ ہمارے جو ٹی۔وی۔ چینلس ہیں، ان کو آپ اس بارے میں ذرا سا ہدایت کریں کہ وہ اس طرح کے پروگرامس بھی نشر کریں تاکہ اس طرح کی چیزوں کو روکا جائے۔ یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ (ختم شد)

ڈا. پربھا ٹاکور (راجस्थان) : धन्यवाद, उपसभापति जी। मैं दो ही मिनट लूंगी। सर, यह जौहर प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और बाल-विवाह आदि समाज की वे चीजें हैं जो परम्पराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वास एवं अहम से जुड़ी हुई हैं। प्रतिष्ठा के सवाल, इज्जत के सवाल और झूठी आन-बान पर कई महिलाएं पहले भी कुर्बान होती आयी हैं और आज भी हो रही हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, इसलिए इसका उतना पता नहीं चल पाता था। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसलिए अब हर चीज समाज और देश के सामने आ रही है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप क्लैरिफिकेशंस पूछ लीजिए।

डॉ. प्रभा टाकुर : हां, मैं क्लैरिफिकेशंस ही पूछ रही हूँ कि क्या वह इन सब को रोकने के लिए बाल-विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा उत्पीड़न को रोकने के लिए कई कानून हैं, लेकिन उन कानूनों का फायदा महिलाओं को कितना मिल रहा है? उन कानूनों का लाभ कितना मिल रहा है? जब तक वे कानून प्रभावी न हों और उनका लाभ न हो, ऐसे मामलों में राज्य सरकारें अपनी तरफ से वकील दें ताकि वे अपना केस लड़ सकें।

दूसरे, जब ऐसी वारदातें होती हैं तो गांव के क्षेत्र में पहले से पता होता है, पूरे गांव में और आसपास उसकी जानकारी होती है, तो उन संबंधित पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को उसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए कि उन्होंने समय रहते उचित कार्यवाही क्यों नहीं की।

तीसरे, हर पंचायत पर अगर एक सुरक्षा कमिटी नियुक्त की जाए और पंचायत के सरपंच को उसका अध्यक्ष बनाया जाए, जो यह देखे कि किसी पंचायत में ऐसा न हो और अगर ऐसा होता है तो उस सरपंच को अपनी

जिम्मेदारी से मुक्त होना पड़ेगा। पंचायती क्षेत्र में ऐसे कुछ नियम-कानून बनाए जाएं, जो कि प्रेक्टिकल और प्रभावी हों और जिसमें और समाजों के लोगों के साथ-साथ महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो।

अंत में, जन-जागरण के लिए दूरदर्शन द्वारा बड़े effective programmes चलाए जा सकते हैं, जिनसे कि effective तरीके से एक message पहुंचे। मैं मंत्री जी से यही जानना चाहती हूँ कि इस विषय में क्या वे इस तरीके से कदम उठाने का विचार रखते हैं?

सुश्री सुशीला तिरिया (उड़ीसा) : सर, मैं NCW के बारे में सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन चाहती हूँ। मंत्री जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है, मैं क्लेरिफिकेशन के तौर पर जानना चाहती हूँ कि NCW जो recommendations देती है, NCW की क्या पावर है और आपके पास rehabilitation को ठीक से चलाने के लिए क्या funds हैं? मेरे हिसाब से अभी तो rehabilitation scheme में कोई fund ही नहीं है। सर, मैं यह कहना चाहूंगी कि gender sensitize के लिए मिनिस्ट्री ने अब gender budgeting किया है। अभी तक जितनी भी स्कीम्स आपके पास हैं, जितने भी कानून अभी तक बनाए गए हैं, लेकिन आप क्या इसको human rights violation के अंतर्गत लेकर, क्या आप महिलाओं के लिए कुछ स्वतंत्र human rights करना चाहेंगे, क्योंकि वे सारी स्कीम्स तो लगातार चलती आ रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम बढ़ता ही जा रहा है?

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) : सर, मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट पढ़ी है, उस पर मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ, कि जो Caste Panchayats हैं, ये अलग पंचायतें हैं, तो क्या उनके प्रति भी आप कोई action लेने जा रहे हैं? Main तो ये हूँ, क्योंकि आम पंचायतें ऐसी बातें नहीं करतीं। हरियाणा में Caste Panchayats एक नई चीज है, उनके खिलाफ action होना चाहिए, क्योंकि जब तक उनके खिलाफ action नहीं होगा, तब तक वे बातें नहीं रुकेंगी।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, I have only one pointed question to the hon. Minister. Will the hon. Minister assure us, on the Floor of the House, that he will bring special legislation to stop honour killing, because the existing law is not enough to deal with such cases. Will the hon. Minister assure the House, today, that he will bring special legislation like Sati to stop honour killings and to make sure that illegal and unconstitutional caste Panchayats are not allowed to function in this way so that women get killed. Thank you.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am grateful to all the fourteen speakers, beginning with Smt. Brinda Karat and ending with Smt. Jayanthi Natarajan, who have participated in this Calling Attention Motion.

I believe, I have made a strong statement that reflects the concern of the Government. We deplore honour killings. We do not recognise the right of a caste Panchayat to take upon itself to pronounce whether a man or a woman should live together or a woman has committed an act which, allegedly, brings dishonour to the family or the community. That is not a function of caste Panchayat. No caste Panchayat has the right to pronounce upon the conduct of individuals. We deplore the actions of these caste Panchayats.

As I said in my statement, honour killings are rooted in anachronistic, antiquated attitudes and false values. They have no place in the 21st Century. Certainly, they have no place in India that aspires to emerge as the modern, forward looking nation.

Having said that, I must admit that honour killings take place in India and the States which report, I underline 'States which report', such honour killings in large numbers are Haryana, Punjab, Uttar Pradesh. As the hon. Member said, this area is around Delhi. But that does not mean that honour killings do not take place in other States. They take place in other States. But, perhaps, the media does not report them, as it should. Perhaps, they do not come to light. In fact, in many States, where one of the parties involved is *dalit*, the tendency is even greater. Several suggestions have been made. I think, the demand for a special law is the one that has been made most eloquently. But, I am afraid, that is a very simple demand in the sense that make a law, but the answer is not to make another law. Whatever law we make, honour killing is murder. It would have to be dealt with as murder. It would have to be tried as murder. In my understanding, I may be wrong, the comparison with *Sati* is misplaced. *Sati* was disguised as suicide. In order to distinguish *Sati* — as a crime that is not a suicide — *sati* had to be defined. In fact, in recent times, the only definition of a crime, which is also murder, to the best of my knowledge, was when we defined 'dowry death', way back in 1986 or so. So, I would look into this whether we can define honour killing, but *prima facie* I am not sure whether that will take us very far. Caste panchayats, which aid and abet honour killings, are equally guilty. If they pronounce their so-called verdicts, they are accomplices, And, if in pursuance of their verdict, a girl or a couple is killed, they are accomplices. At least, the principle actors in the caste panchayats, have to be arrayed as accused, along with those who actually committed the murder. They would have to be prosecuted. I do not have any data regarding the prosecution in the States, but I am sure that in many cases leading members of the caste panchayats are also made accused in the crime and they are prosecuted. The courts are very tardy in this country. They take time to pronounce guilt or otherwise. I would like to urge upon the State Governments to see that these cases are fast-tracked so that those who actually killed, and those who aided and abetted the killings, are brought to justice and punished.

Sir, there is a suggestion that the Special Marriage Act should be simplified to remove hurdles to quick marriages. Well, I have not studied the Special Marriage Act recently. So, I can't comment on this. But I would certainly look into the Special Marriage Act to see if, in tune with the times, we could bring about some amendments in the Special Marriage Act to facilitate quicker marriages under the Special Marriage Act.

Some suggestions were that the burden of proof should be on the accused. I am afraid that is not the principle on which the criminal jurisprudence of this country rests. In fact, the principle in the Evidence Act is that the initial burden is always on the prosecution. I think, what the hon. Members are trying to say is that at some point of time, the burden must shift to the accused or the defence.

The initial burden will always be on the prosecution, but at some point in the trial, when preliminary evidence has been let in, the burden can shift to the accused or the defence. We will try to see whether the existing provisions of the Evidence Act are adequate or not so that at some point

of time in the case of 'honour killings', the can not shift to the accused or the defence.

Sir, the most durable answer to 'honour killings' is spread of education, sensitisation of communities, effective registration, investigation and prosecution of crimes and urbanization. I think these are the things that will change over a period of time. The State and everybody who feels responsible must help in the process of change. I think urbanization is a powerful tool to get over these deep-seated prejudices and deep-rooted attitudes. Education is a very powerful tool. Sensitisation of communities is a very powerful tool. There are still many virtues in our village communities. But the village communities are also, to a large extent, entrenched in prejudices and very anachronistic values. This will change over a period of time. But we must do everything possible to spur change, to trigger change. What can the State do? And when I mean 'State', I do not mean 'State Governments'; I mean 'State' with a capital 'S'. We have already issued advisories to the State Governments. One of the advisories is about a point I had mentioned, namely, set up women police stations. But we also hear reports — at least, I have heard reports from my own State — that women police stations are as oppressive as general police stations. But that doesn't mean, you should not set up all-women police stations. I am in favour, by and large, on balance. I think, all women police stations should be established to protect women and children. What a State can do is, to investigate, prosecute and punish the offenders. If in a few cases, we are able to hand out exemplary punishment to those who actually perpetrated the killings and those who are accomplices, that would send a message. The media should highlight these cases. Well, I will wait to see until tomorrow how the media has highlighted this debate. I think, it is important that the country knows that Parliament in one voice condemns, deplures 'honour killings'. The media must send out this message loud and clear. I will look into the Special Marriage Act; I will look into the provisions of the Evidence Act. But, I think, looking into all the suggestions that have been made — all of them have been valuable—the best way to deal with this problem is to investigate, prosecute and punish the accused in a few cases so that a message goes that exemplary punishment will be handed out to those who indulge in this deplorable practice of killing in order to protect the alleged honour of the family or the alleged honour of the victim.

With these words, Sir, let me thank the hon. Members for the questions they have asked and I shall take note of their suggestions.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, I just want to make one comment. In this word 'honour killing', there is nothing honourable that is happening. ...*(Interruptions)*... But the point is, at least, we can call it 'dishonour murders', ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch for one hour.